कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी महासमुन्द (छ.ग.)

फोन – 07723–223305, फैक्स – 07723–223302, Email - msamund.cg@nic.in

// आदेश //

क्रमांक 207 / क / एस.डब्ल्यू. / 2022 महासमुंद, दिनांक 26 / 04 / 2022

छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रमांक एफ 1–26 / 2020 / सत्रह / एक नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 25 अप्रैल, 2022 द्वारा कोविड महामारी के रक्षात्मक उपाय के संबंध में जारी निर्देश के अनुक्रम में निम्नानुसार आदेश प्रसारित करता हूं :–

01. सार्वजनिक स्थलों, कार्यालयों, अस्पतालों, बाजारों एवं भीड़–भाड़ वाले स्थानों, गलियों में आने–वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क / फेस कवर धारण किया जाना अनिवार्य होगा।

02. कार्यालय / कार्य स्थलों एवं फैक्ट्री आदि में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा फेस कवर धारण किया जाना अनिवार्य होगा।

03. सार्वजनिक स्थलों पर थूकना प्रतिबंधित होगा।

04. होम क्वारंटाईन में रहने वाले व्यक्तियों को शासन द्वारा समय–समय पर जारी होम क्वारंटाईन संबंधी दिशा–निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

05. दुकानों / व्यवसायिक संस्थानों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग / फिजिकल डिस्टेंसिंग संबंधी दिशा–निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

26/4/22
कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
महासमुन्द (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 207 / क / एस.डब्ल्यू. / 2022 महासमुंद, दिनांक 26 / 04 / 2022

प्रतिलिपि :–

01. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
02. आयुक्त रायपुर संभाग रायपुर को सूचनार्थ।
03. पुलिस अधीक्षक, महासमुन्द को सूचनार्थ।
04. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत महासमुन्द को सूचनार्थ।
05. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं इन्सीडेंट कमांडर, जिला महासमुन्द को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
06. सर्व विभाग प्रमुख, जिला महासमुन्द को पालनार्थ। अपने कार्यालय के समस्त कार्यालयीन स्टाफ एवं कार्यालय में आने वाले व्यक्तियों को मास्क / फेस कवर धारण किया जाना व सोशल / फिजिकल डिस्टेंसिंग संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करावें एवं अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार करें।
07. सहायक संचालक, जनसम्पर्क महासमुन्द को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ तथा अपने शासकीय स्तर से, सोशल मिडिया के माध्यम से प्रसारित किये जाने हेतु अग्रेषित।

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला-महासमुन्द (छ.ग.)

26/4/22
कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
महासमुन्द (छ.ग.)